न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती पारूल कुमारी, उ०प्र० न्यायिक सेवा (यू.पी.03546)

सी.एन.आर.–UPHP120001522026
पंजीकरण संख्या–51/2026
वाद सं–44/2026
मु०अ०सं०–593/2025
सरकार बनाम नाजिम
अंतर्गत धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम
थाना– गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

दिनांकः–02.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **नाजिम पुत्र अनसर खां** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें को आगे चलाने में असमर्थ है। प्रार्थी/ अभियुक्त स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल करना चाहता है। न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त को स्वेच्छा से जुर्म इकबाल के आधार पर निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोंकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ द्वारा धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली अभियुक्त के समन में चल रही है। अभियुक्त स्वयं अपना अपराध स्वीकार करना चाहता है। अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त **नाजिम पुत्र अनसर खां** धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

– आदेशः–

अभियुक्त **नाजिम पुत्र अनसर खां** को वाद सं–44/2026, मु०अ०सं०–593/2025, सरकार बनाम नाजिम, अंतर्गत धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना– गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त को **न्यायालय के उठने तक की अवधि व अर्थदण्ड के रूप में अंकन 50/–रूपये** से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 1 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–02.07.2026

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:11:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court